राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 1(91)परि/स्था/2020/8064 जयपुर, दिनांकः 24.05.2024

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अ.शा. टीप कमांक प.9(2)कार्मिक/क–4/2/2023/14520 दिनांक 21.05.2024 की अनुपालना में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2021 में सफल घोषित किये जाने पर राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 के अनुसरण में निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान परिवहन सेवा में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियम के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक रूपये 31,100/– प्रतिमाह पर नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी :–

क्र. सं.	मेरिट सं0	रोल नं0	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	74	906312	ANUJ DALL	14.08.1990	BC,RG	–
2.	92	917292	ABHIJEET SINGH	15.12.1993	GE	–
3.	102	905993	KULJYOTI	12.09.1990	GE,WE	–
4.	106	909886	SOUMYA SHARMA	27.08.1996	GE,WE	–
5.	108	915473	NARESH KUMAR POONIYA	25.06.1991	BC	–
6.	597	903740	CHETRAM MEENA	02.05.1992	ST	–
7.	1036	903807	MONU SINGH MEENA	10.07.1996	ST	–

8 24/05/2024

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है :—

1. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के नियमानुसार सही पाये जाने के अध्यधीन होगी।
2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) वित्त / नियम / 06 दिनांक 13.03.06 एवं एफ.15 (1) वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 के के Schedule IV के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों को जिला परिवहन अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 9300—34800 ग्रेड पे— 4800 पे मैट्रिक्स लेवल एल—12 (समय—समय पर यथा संशोधित वेतन भत्तों / शर्तों के अध्यधीन) में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षा—प्रशिक्षु **(Probationer-trainee)** के रूप में नियुक्त किया जाता है।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र सं. प.15 (1) कार्मिक / क—2 / 74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. कार्मिक (क—4 / 2) विभाग, राजस्थान सरकार के अशा टीप क्रमांक प.9(2)कार्मिक / क—4 / 2 / 2023 / 14520 दिनांक 21.05.2024 के साथ भेजे गये अभ्यर्थियों के आवेदन प्रपत्र के अनुसार जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में है तथा अपनी राज्य सेवा अवधि में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्मिक विभाग के संदर्भित पत्र के आदेशानुसार इस विभाग में दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 9:30 बजे परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त अभ्यर्थी आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिर्पोटिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। शेष अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 9:30 बजे अपनी उपस्थिति हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। पूर्व सेवा वाले अभ्यर्थी का वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम,1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
6. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. इन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि वही होगी, जो इन्होंने लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा सम्बन्धी आवेदन—पत्रों में अंकित की है तथा जिसे आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के उपरान्त मान्य कर दिया गया है।
8. इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की योग्यता सूची में अंकित वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगी।

24.5.2024

9. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन/प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह व संतान की स्थिति आदि के राज्य सरकार के पूर्ण सन्तोषजनक सत्यापन के अधीन होगी तथा यदि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/चरित्रादि के संबंध में भविष्य में कोई सत्यापन सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।

10. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनके नाम के आगे "प्रोविजनल" अंकित किया गया है। इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

11. अभ्यर्थी को, अगर वह विवाहित है, तो उसे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र इस विभाग को कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त विवाह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाया जावेगा।

12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "self declaration" प्रपत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसी अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लायी जायेगी।

13. ये नियुक्तियाँ राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 एवं राजस्थान सरकार द्वारा सेवा के सम्बन्ध में बनाये गये समस्त अधिनियम/नियम/उपनियम, अधिसूचनाओं में समय–समय पर संशोधित अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी व इस सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।

14. जिन अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, यदि उनमें कोई अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण की अवधि में अथवा अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त दो वर्षो की सेवा अवधि में सेवा छोडकर जाता है/त्याग पत्र देता है तो इस अवधि में प्राप्त वेतन तथा उसके प्रशिक्षण काल में प्राप्त की गई राशि की दुगुनी राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। किन्तु इस अवधि में उसे भुगतान की गई यात्रा भत्ते व दैनिक भत्ते की राशि वसूल नहीं की जाएगी। प्रत्याशियों को इस आशय का एक बन्ध–पत्र (बॉण्ड) निर्धारित प्रपत्र में सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निष्पादित करना होगा।

15. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

16. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

17. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

4/05/2024

18. इन अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई एफ. आई.आर. दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है एवं ना ही उन्हें पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/दोषमुक्त किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/दण्ड/राजीनामा/दोषमुक्त/एफ.आई.आर. आदि का शपथ पत्र में उल्लेख किया जाना है। अभ्यर्थी द्वारा शपथ–पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाए जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
19. उक्त सेवा आवंटन आर.ए.एस. परीक्षा–2021 के संबंध में मा. न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यधीन रहेगा।
20. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर वांछित प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों एवं फोटोयुक्त पहचान के साथ उपस्थित हों।
21. अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी 1. उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) (मो.न. 9166999518) एवं 2. जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) (मो.न. 9414217416) होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
24-05-2024
(सोहनलाल मीना)
शासन उप सचिव, परिवहन

क्रमांकः एफ 1(91)परि/स्था/2020/8065 – 8079 जयपुर, दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
12. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
13. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती...।
14. गोपनीय शाखा/संस्थापन शाखा/भुगतान शाखा।
15. निजी/रक्षित पत्रावली।

24-05-2024
शासन उप सचिव, परिवहन

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ1(84)परि/स्था./2013/पार्ट1/16408 जयपुर, दिनांक :30-10-2024

संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क–5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– सभी संवर्गों में दी गयी नियुक्तियों का विवरण विभाग की वेबसाईट पर अद्यतन करने के संबंध में।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग की अ.शा.टीप प.16(60)का./क–5/भ.प्र./2024 दिनांक 24.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सभी संवर्गों में दी गयी नियुक्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में विभाग की वेबसाईट पर दर्शाते हुए सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मीना)
उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

RajKaj Ref No.: 11507450

प्रपत्र–"अ"

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	संदर्भित पदों की रिक्तियों की संख्या	नवनियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या	प्रक्रियाधीन नियुक्तियां / शेष पद	अनुपलब्धता
1	परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग	जिला परिवहन अधिकारी	19	07	12	—
2		कनिष्ठ सहायक	71	03	55 / 68	—

प्रपत्र–''ब''

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	रोल नम्बर / आवेदन आईडी	लिंग	श्रेणी	नियुक्ति आदेश दिनांक	पदस्थापन स्थान	गृह जिला
1.	श्री अनुज डाल	जिला परिवहन अधिकारी	906312 / 202115721667	Male	पि.व.	24.05.2024	कार्यग्रहण काल में 6 माह की अभिवृद्धि स्वीकृत	हनुमानगढ
2.	श्री अभिजीत सिंह	जिला परिवहन अधिकारी	917292 / 202115767088	Male	सामान्य	24.05.2024	प्रशिक्षणरत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ	पाली
3.	श्रीमती कुलज्योति	जिला परिवहन अधिकारी	905993 / 202115578529	Female	सामान्य	24.05.2024	प्रशिक्षणरत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सीकर	चूरू
4.	सुश्री सौम्या शर्मा	जिला परिवहन अधिकारी	909886 / 202115584268	Female	सामान्य	24.05.2024	प्रशिक्षणरत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दौसा	जयपुर
5.	श्री नरेश कुमार पूनियां	जिला परिवहन अधिकारी	915473 / 202115627714	Male	पि.व.	24.05.2024	प्रशिक्षणरत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर	जालौर

6.	श्री चेतराम मीणा	जिला परिवहन अधिकारी	903740 / 202115561463	Male	अ.ज.जा.	24.05.2024	कार्यग्रहण काल में 6 माह की अभिवृद्धि स्वीकृत	करौली
7.	श्री मोनू सिंह मीणा	जिला परिवहन अधिकारी	903807 / 202116142581	Male	अ.ज.जा.	24.05.2024	कार्यग्रहण काल में 6 माह की अभिवृद्धि स्वीकृत	करौली
8.	श्री धनंजय त्यागी	कनिष्ठ सहायक	खिलाडी कोटे से	Male	सामान्य	23.02.2024	परिवहन मुख्यालय, जयपुर	धौलपुर
9.	श्री मोहम्मद शोएब खान	कनिष्ठ सहायक	अनुकम्पात्मक नियुक्ति	Male	सामान्य	07.03.2024	परिवहन मुख्यालय, जयपुर	जोधपुर
10.	श्री प्रशान्त शर्मा	कनिष्ठ सहायक	अनुकम्पात्मक नियुक्ति	Male	सामान्य	11.03.2024	परिवहन मुख्यालय, जयपुर	जयपुर